

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला

जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 583 / 15

संस्थापन दिनांक:-16 / 09 / 15

फाईलिंग नं. 233504001122015

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,

जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

1. भड़मू पिता पलकू उम्र 35 वर्ष
2. फूलवती पति भड़मू उम्र 32 वर्ष
दोनों निवासी हरदोली,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 23.09.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो भा०दं०सं० के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 21.08.2015 को समय रात्रि करीब 08:00 बजे फरियादी के घर के सामने ग्राम हरदोली थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी मंगलीबाई धुर्वे और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी मंगलीबाई धुर्वे को स्वेच्छया उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी मंगलीबाई को लकड़ी तथा हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी ने भड़मू को बकरा बेचा था जिसे 100 रुपये उसे भड़मू से लेने थे। दिनांक 21.08.2015 को रात्रि करीब 8 बजे फरियादी उसके घर के सामने खड़ी थी। उसी समय फूलवती वहां से निकली तो फरियादी ने उससे 100 रुपये मांगे तो फूलवती उसे गाली देने लगी और कहा कि छिनाल किस चीज के पैसे हैं मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं जाकर रिपोर्ट कर दे। जिस पर उसने फूलवती को गाली देने से मना किया तो फूलवती ने लकड़ी से उसके सिर, बांयी भुजा तथा सीधे हाथ के पंजे पर मारा। उसी समय फूलवती का पति भड़मू भी आ गया और उसने उसे धक्का देकर गिरा दिया तथा लात मुक्के से मारा। अभियुक्तगण ने उसे

रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना आमला में अपराध क्र. 454/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को न्यायालय में उपस्थिति बाबत सूचना पत्र दिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी मंगलीबाई के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी मंगलीबाई को लकड़ी एवं हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
6. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
7. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
8. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क्र. 01, 02, 03 एवं 07 का निराकरण

5 मंगलीबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसे मादरचोद, बहनचोद की गंदी

गंदी गालियां दी थी। इस संबंध में साक्षी आनंदराव (अ.सा.-2) ने प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसकी पत्नी के साथ गाली गलौच की थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

6 साक्षी/फरियादी मंगलीबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा उसे घटना के समय मादरचोद, बहनचोद की गंदी गंदी गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं। विधि में अश्लीलता की जो परिसंकल्पना धारा 294 द्वारा की गयी है उसका अभिप्राय ऐसे शब्दों से है जो शब्द सुनने वाले व्यक्ति के उपर प्रतिकूल प्रभाव डाले, उसे दूषित अवन्नति की ओर ले जायें, उसमें कामुकता यौन मनोव्यय को पैदा करे लेकिन फरियादी द्वारा बताये गये शब्द इस स्वरूप के नहीं हैं। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **सोबरन विरुद्ध म.प्र. राज्य 1967 जे.एल.जे. शार्ट नो. 135, विष्णु प्रसाद विरुद्ध म. प्र. राज्य 1971 जे.एल.जे. शार्ट नो. 148** अवलोकनीय है। इस प्रकार उपर्युक्त न्याय दृष्टांत एवं उनमें प्रतिपादित सिद्धांत तथा साक्ष्य के विश्लेषण से यह तथ्य सिद्ध नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा दी गयी गालियों से किसी व्यक्ति को क्षोभ या संत्रास कारित हुआ हो।

7 अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 506 भाग-2 भा०दं०सं० का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04, 05 एवं 06 का निराकरण

8 मंगलीबाई (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त फूलवती ने उसे लकड़ी से आंख के उपर, सिर और हथेली पर मारा था तथा अभियुक्त भड़मू ने लात से मारपीट किया था जिससे उसे चोटें आयी थी। आनंदराव (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उसकी पत्नी के साथ मारपीट किया था जिससे उसे चोटें आयी थी।

9 दिनेश सोनी (अ.सा.-5) ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि वह सीएचसी आमला में कम्पाउंडर के पद पर पदस्थ है। उसने डॉ. रोहित के साथ कार्य किया है वह उनके हस्ताक्षरों से भली भांति परिचित है। बीएमओ डॉ. चौरिया द्वारा निर्देशित करने पर वह आज न्यायालय में साक्ष्य देने हेतु उपस्थित हुआ है। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि दिनांक 22.08.2015 को डॉ. रोहित ने आहत मंगलीबाई का चिकित्सकीय परीक्षण किया था जिसमें आहत के सिर

के दांयी तरफ 4 गुणा 2 गुणा 3 सेमी. आकार की चोट एवं दांहिने हाथ की हथेली पर सूजन पायी थी। साक्षी ने आहत को आयी चोटें कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए डॉ. रोहित द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 को प्रमाणित किया है। उपर्युक्त साक्षी तथा साक्षी मंगलीबाई (अ.सा.-1) एवं आनंदराव (अ.सा.-2) के कथनों से अभियोजन द्वारा वर्णित समयावधि में आहत को चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

10 प्रीतम सिंह (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 23.08.2015 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 454/15 की केस डायरी प्राप्त होने पर फरियादी मंगलीबाई की उपस्थिति में घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श पी-3) तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेज को प्रमाणित किया है।

11 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा साक्षी आनंदराव भी अनुश्रुत साक्षी है। अतः मात्र आहत के कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में साक्षी रामप्यारी (अ.सा.-3) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। फलतः उक्त साक्षी से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है परंतु मात्र स्वतंत्र साक्षी के द्वारा घटना का समर्थन न किये जाने से संपूर्ण अभियोजन का मामला संदेहास्पद नहीं हो जाता है क्योंकि सामान्यतः मानवीय स्वभाव अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी अन्य के मामले में गवाही देने से बचता है। अतः बचाव अधिवक्ता का यह तर्क उचित न होने से अमान्य किया जाता है।

13 बचाव अधिवक्ता का यह तर्क कि साक्षी आनंदराव अनुश्रुत साक्षी है। उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में आनंदराव (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना रात्रि 8 बजे की उसके घर के सामने की है। उसके सामने अभियुक्त फूलवती ने लकड़ी से और अभियुक्त भड़मू ने लात से उसकी पत्नी मंगलीबाई के साथ मारपीट की थी। उसने घटना देखी थी और पत्नी के साथ थाने में रिपोर्ट करने गया था परंतु प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसने घटना नहीं देखी थी। घटना के समय वह घर पर था। घटना की सारी जानकारी उसकी पत्नी मंगलीबाई ने दी थी। इस प्रकार यह साक्षी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है तथा प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वयं के द्वारा घटना न देखा जाना बताया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों पर विश्वास किया जाना सुरक्षित

प्रतीत नहीं होता है।

14 अभिलेख पर मात्र आहत साक्षी मंगलीबाई (अ.सा.—1) की साक्ष्य उपलब्ध है। बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आहत सर्वोत्तम साक्षी होता है तथा इस संबंध में न्याय दृष्टांत **भजनसिंह उर्फ हरभजनसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 2552** उल्लेखनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि एक आहत साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी गवाह को निरस्त करने के आधार अभिलेख पर न हो जो कि उसकी साक्ष्य में बड़े विरोधाभास या कमी के रूप में हो सकते हैं। अतः मंगलीबाई के कथनों से यह देखा जाना है कि उसके कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित माना जा सकता है अथवा नहीं।

15 मंगलीबाई (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय गाय को कोठे में बांध रही थी तभी अभियुक्तगण आये और पुराने पैसों के लेनदेन पर से उसके साथ मारपीट की। अभियुक्त भड़मू ने उसे लात से मारा था और फूलवती ने लकड़ी से आंख के उपर सिर और हथेली पर मारा था। घटना की रिपोर्ट उसने थाने में की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसका अभियुक्त से बाकी बचे पैसों पर ही विवाद था। यदि अभियुक्त पैसे दे देता तो रिपोर्ट नहीं करती। स्वतः में कहा कि अभियुक्त ने मारा था इसलिए रिपोर्ट की थी। इस सुझाव को सही बताया है कि वह शराब पीती है परंतु इस सुझाव को गलत बताया है कि शराब के नशे में वह घटना स्थल पर गिर गयी थी इसलिए उसे चोटें आयी थी। साक्षी ने इस सुझाव को भी गलत बताया है कि घटना के समय अभियुक्त फूलवती नहीं थी। इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त ने बकरे के पैसे नहीं दिये थे इसलिए वह अभियुक्त को फंसाने के लिए गलत बयान दे रही है।

16 अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक 21.08.2015 की रात्रि 8 बजे की है और घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन दिनांक 22.08.2015 को दिन के 03:00 बजे लेख करायी गयी है। फरियादी मंगलीबाई (अ.सा.—1) ने अभियोजन कथा के अनुरूप ही न्यायालय में कथन किये हैं तथा उसके चिकित्सकीय परीक्षण में उसके द्वारा बताये गये स्थान पर ही चोट पायी गयी है। आहत अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट किये जाने के तथ्य पर पूर्णतः स्थिर है। आहत की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से भी समर्थित है। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्तगण ने आहत की मारपीट कर उसे उपहति कारित की।

17 अभियुक्तगण द्वारा एक साथ मिलकर छोटी सी बात पर फरियादी की मारपीट करना उनके सामान्य आशय को एवं स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। ऐसा कोई तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्तगण को प्रकोपन दिया गया हो। फलतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्तगण ने

फरियादी की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा उसके अग्रशरण में फरियादी को मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।

विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण

18 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी मंगलीबाई धुर्वे और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी मंगलीबाई धुर्वे को स्वेच्छया उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी मंगलीबाई को लकड़ी तथा हाथ मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। फलतः अभियुक्तगण भड़मू एवं फूलवती को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 323/34 भा.दं. सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

19 अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:— दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :—

20 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है तथा दोनों अभियुक्तगण आपस में पति—पत्नी हैं। अभियुक्तगण अत्यन्त गरीब परिवार के मजदूर पेशा व्यक्ति हैं। अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध सामान्य आशय के अग्रशरण में मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उन्हें अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

21 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को मारपीट किये जाने का सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी के साथ मारपीट कर उसे उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्तगण अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम थे, अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

22 अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण एवं फरियादी एक ही ग्राम के निवासी हैं तथा अभियुक्तगण लगभग दो वर्षों से निरंतर विचारण का सामना कर रहे हैं। आहत को आयी चोटें साधारण प्रकृति की हैं। अतः अभियुक्तगण की आर्थिक स्थिति एवं अपराध की प्रकृति तथा मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्तगण को केवल न्यायालय उठने तक के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किए जाने में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्तगण को धारा 323/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500/-500/- रुपये कुल 1,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में किया जाता है तो उन्हें 15-15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

23 धारा 357(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की राशि में से 700/- रुपये आहत मंगलीबाई पति आनंदराव, निवासी हरदोली, थाना आमला जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

24 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

25 दं०प्र०सं० की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

